

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य (0.00. हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.945 हे० वन भूमि) का **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक ~~08.07.2021~~ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री आनन्द स्वरूप जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

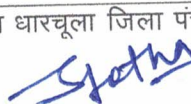
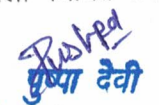
- 1- **श्री आनन्द स्वरूप जिलाधिकारी** पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- श्री ~~विजय कुमार भार्गव~~ प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्रीमती गंगोत्री दत्ताल ग्राम दांतू पो० जौलजीबी, धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 4- श्री सुरेश जेठा ग्राम सुवा पो० आ० धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 5- श्रीमती पुषा देवी ग्राम चामी भैंसकोट वि० खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
- 6- श्री ~~विश्वनाथ कापड़ी~~ जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य परियोजना हेतु 0.945 हे० वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य हेतु 0.945 हे० वन भूमि **प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सुवा धारचूला जिला पंचायत सदस्य 	मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य  पुषा देवी जिला पंचायत सदस्य 09-नावनी, पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	जौलजीबी धारचूला जिला पंचायत सदस्य  श्रीमती गंगोत्री दत्ताल सदस्य पंतक
प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़	समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़	जिला अधिकारी पिथौरागढ़

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
No--86

Office of the District Collector Pithoragarh

Dated-08/07/2021

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.945** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **khainal Gaon, Dabari khainal, Dabari, and Dabari Joshi** village (s) in **Munakot (Pithoragarh)** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 0.945** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)


विनोद कुमार
पिथौरागढ़

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Shard Shrestha** I.A.S deputy commissioner, **Pithoragarh** on dated **08/07/2021** at time **5:00** at **PM** in which application claiming rights in P.D. PWD Pithoragarh area measuring **0.945** hect for the construction of Marh Marsholi to Sangatta Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pithoragarh sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: **Pithoragarh**
Dated: **08-07-2021**


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

पिथौरागढ़
पिथौरागढ़

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.945 हे० वन भूमि) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 21.04.2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री तुषार सैनी**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री **तुषार सैनी**, उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- श्री **नयनकुमार शर्मा** उप प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्री **तनवीश मिश्रा** सहायक समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव
- 4- श्रीमती रेनू भट्ट पत्नी श्री अशोक भट्ट, बी०डी०सी० क्षेत्र सोनगाँव सदस्य
- 4- श्री शुभम चन्द पुत्र श्री शिव राज चन्द, बी०डी०सी० क्षेत्र मूनाकोट सदस्य
- 4- श्री राजेन्द्र सिंह गोबाड़ी पुत्र श्री लाल सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र रज्यूड़ा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य परियोजना हेतु 0.945 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.945 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील/ जनपद -पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील/ जनपद -पिथौरागढ़

R. Bhattach
क्षेत्र पंचायत सदस्य सौनागांव
वि० ख० मूनाकोट, पिथौरागढ़
राजेंद्र सिंह
सदस्य

सहायक वनाधिकारी
पिथौरागढ़

उप जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
(उपखण्ड)

अक्षयक्ष

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम मसौली माड़ (खेनाल गाँव)
तहसील: पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.945 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मसौली माड़ द्वारा दिनांक 05/02/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खेनाल गाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


प्रधान
ग्राम पंचायत मासौली माड़
विस्तार कार्य
05/02/21
ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

सरपंच
ग्राम पंचायत मासौली माड़
पट्टी तल्ला बल्लिया
M.S. Khaimal
ह०/- जिला- पिथौरागढ़
सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 05/02/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मसौली भाट (खेनात गांव)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	MAHIMAN SINGH	
2-	PARVEEN SINGH	
3-	HEMANT SINGH	
4-	बबीता वल्दिया	बबीता
5	बिन्दु देवी	बिन्दु
6	हिमानो वल्दिया	हिमानो
7	नवीन सिंह वल्दिया	नवीन सिंह
8	पुष्कर सिंह वल्दिया	पुष्कर सिंह
9	विक्रम सिंह वल्दिया	विक्रम सिंह
10	पुष्पा वल्दिया	पुष्पा वल्दिया
11	कमला देवी	कमला देवी
12	साधना देवी	साधना देवी
13	देवराज वल्दिया	D. S. Walodia
14	गोविन्द -	गोविन्द
15	सदान्विता देवी	सदान्विता देवी
16	मान सिंह	मान सिंह
17	सुनील कुमार	सुनील कुमार
18	वलन्ता सिंह	वलन्ता सिंह
19	श्री-दत्त सिंह	श्री-दत्त सिंह
20	जानकी देवी	जानकी देवी
21	रमेश सिंह	रमेश
22	चन्द कला	चन्द कला
23	Prakash Singh Walodia	Prakash
24	Pooja Walodia	Pooja
25	Vikas Singh Walodia	Vikas
26	Kanchan Walodia	Kanchan
27	Meena Walodia	Meena देवी
28	Prakash Walodia	Prakash

ह0/-
ग्राम प्रधान

हमाबिल
प्रधान
ग्राम पंचायत मसौली
वि.ख. मूनाकोट

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम मर्सोली (डाबरी खेनाल)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.945 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मर्सोली (डाबरी खेनाल) द्वारा दिनांक 05/02/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डाबरी खेनाल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हमाकिष्ट
ग्राम पंचायत मर्सोली
वि.ख. मूनाकोट

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

सरपंच
ग्राम पंचायत डाबरी खेनाल
ह०/- पट्टी तल्ला वल्लिया
सरपंच M. S. Khaimal
मुहर सहित तहसील- पिथौरागढ़

प्रारूप-30.4

दिनांक 05/02/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मरौली भाट (डाबरी खेनाल)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	महेन्द्र सिंह खेनाल	M. S. Khaimal
2	आशा खेनाल	आशा खेनाल
3	हरिश्चंद्र सिंह खेनाल	Harish
4	कैशव सिंह खेनाल	Kaishav
5	रामाजी सिंह खेनाल	Ramaji
6	शिवराज सिंह खेनाल	Shivraj
7	अनुराज सिंह खेनाल	Anuraj
8	राजेश्वर सिंह खेनाल	R. S. Khaimal
9	लक्ष्मण सिंह खेनाल	Laxman Singh
10	दीपक सिंह खेनाल	Diya Singh
11	नवराज सिंह खेनाल	N. S. Khaimal
12	पुष्पा सिंह खेनाल	Puspa Singh
13	रामाजी सिंह खेनाल	Ramaji Singh
14	सत्यनारायण खेनाल	S. S. Khaimal
15	देव सिंह खेनाल	Dev Singh
16	पुष्पा सिंह खेनाल	Puspa Singh
17	शिवराज सिंह खेनाल	Shivraj Singh
18	नूरुज सिंह खेनाल	Nuruj
19	बलराज सिंह खेनाल	B. S. Khaimal
20	अनुराज सिंह खेनाल	Anuraj Singh
21	दीपक सिंह खेनाल	Diya Singh
22	पुष्पा खेनाल	Puspa Singh
23	अनीता खेनाल	Anita Singh
24	जानकी खेनाल	Janki Singh
25	रेखा खेनाल	Rekha Singh
26	राजेश्वर खेनाल	Rajeshwar Singh
27	कल्याण खेनाल	Kalyan Singh
28	श्रीमती खेनाल	Shrimati Singh
29	पावन खेनाल	Pavan Singh
30	अनुराज खेनाल	Anuraj Singh
31	मोहन खेनाल	Mohan Singh
32	अनुराज खेनाल	Anuraj Singh
33	गोविन्द खेनाल	Gopinand Singh
34	शान्ति खेनाल	Shanti Singh
35	रंजु खेनाल	R. Khaimal
36	कमल खेनाल	Kamal Singh

ह0/-
ग्राम प्रधान

हस्ताक्षर
प्रधान
ग्राम पंचायत मरौली
वि.ख. मूनावाट

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगठन तक विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम मसौली माड़ (डाबरी जोगी)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगठन तक विस्तार कार्य (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.945 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मसौली माड़ द्वारा दिनांक 05/02/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डाबरी जोगी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर
प्रधान
ग्राम पंचायत मसौली
वि.ख. मूनाकोट

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

सरपंच
ग्राम पंचायत डाबरी खेनाथ
ह०/- महो तल्सा बल्लिया
सरपंच M. S. Khaimal
मुहर सहित जिला- पिथौरागढ़

दिनांक 05/02/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मसौली भ्राट (डाबरी जोशी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विद्याधर जोशी	विद्याधर जोशी
2	नरमदन जोशी	नरमदन जोशी
3	मोहन चन्द्र जोशी	मोहन चन्द्र जोशी
4	दीनदत्त चन्द्र जोशी	दीनदत्त चन्द्र जोशी
5	जगदीश चन्द्र जोशी	जगदीश चन्द्र जोशी
6	प्रभु दत्त जोशी	प्रभु दत्त जोशी
7	कलाश चन्द्र जोशी	कलाश चन्द्र जोशी
8	नरदा बल्लभ जोशी	नरदा बल्लभ जोशी
9	विनायक कुमार् जोशी	विनायक कुमार् जोशी
10	वृन्नाभाहन जोशी	वृन्नाभाहन जोशी
11	नवीन चन्द्र जोशी	नवीन चन्द्र जोशी
12	राम सिंह बल्लभ	राम सिंह बल्लभ
13	पुष्कर सिंह बल्लभ	पुष्कर सिंह बल्लभ
14	शमल सिंह बल्लभ	शमल सिंह बल्लभ
15	हेम चन्द्र जोशी	हेम चन्द्र जोशी
16	दीनदत्त चन्द्र जोशी	दीनदत्त चन्द्र जोशी
17	पुराणधर जोशी	पुराणधर जोशी
18	मनाज जोशी	मनाज जोशी
19	सुभाष किशोर जोशी	सुभाष किशोर जोशी
20	नवीन चन्द्र जोशी	नवीन चन्द्र जोशी
21	अमित चन्द्र जोशी	अमित चन्द्र जोशी
22	अमित जोशी	अमित जोशी
23	धामरा चन्द्र जोशी	धामरा चन्द्र जोशी
24	प्रभाज दत्त जोशी	प्रभाज दत्त जोशी
25	नरदा चन्द्र जोशी	नरदा चन्द्र जोशी
26	जगल किशोर जोशी	जगल किशोर जोशी
27	पुन चन्द्र जोशी	पुन चन्द्र जोशी
28	दीपक चन्द्र जोशी	दीपक चन्द्र जोशी
29	सुरेश चन्द्र जोशी	सुरेश चन्द्र जोशी
30	जालि न जोशी	जालि न जोशी
31	परमानन्द जोशी	परमानन्द जोशी
32	पुन चन्द्र जोशी	पुन चन्द्र जोशी
33	अमित चन्द्र जोशी	अमित चन्द्र जोशी
34	मोहन चन्द्र जोशी	मोहन चन्द्र जोशी
35	गोपाल कुमार् जोशी	गोपाल कुमार् जोशी
36	पी.सी. जोशी	P.C JOSHI

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम मसौली थार (डावरी)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ विकासखण्ड मूनाकोट में माड़ मसौली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.945 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.945 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मसौली थार द्वारा दिनांक 05/02/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डावरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेम/कोट
ग्राम प्रधान
मसौली
वि.स. मूनाकोट
05/02/21

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित

सरपंच
ग्राम पंचायत डावरी खैना
ह०/- पट्टी तल्ला बल्लिया
सरपंच M. S. Khaimal
मुहर सहित जिला- पिथौरागढ़

प्रारूप-30.4

दिनांक 05/02/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मुर्याली भाट (डावरी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
37-	चन्द्र शर्मा जोशी	चन्द्र शर्मा
38-	विपिन जोशी	विपिन
39-	विपिन चन्द्र जोशी	विपिन
40-	विजय जोशी	B.C. जोशी
41-	कृष्ण कुंभार जोशी	कृष्ण कुंभार
42-	सुनील जोशी पार्वती जोशी	सुनील जोशी
43-	दीपा जोशी	दीपा जोशी
44-	राधा जोशी	राधा जोशी
45-	गीता जोशी	गीता जोशी
47-	भावना जोशी	Bhavna जोशी
48-	चन्द्रा जोशी	चन्द्रा जोशी
49-	सुनील वल्लभ	सुनील
50-	वसन्ती जोशी	वसन्ती देवी
51-	देवकी जोशी	देवकी देवी
52-	सावित्री जोशी	सावित्री
53-	सरस्वती जोशी	सरस्वती
55-	मंजु जोशी	मंजु
56-	मल्लिका जोशी	मल्लिका जोशी
57-	जानकी जोशी	जानकी जोशी
58-	योगेश चन्द्र जोशी	योगेश

ह० / -
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत
वि.ख.